उ0प्र0 विधान परिषद के तृतीय सत्र-2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या-22 का उत्तरालेख्य

प्रश्न	उत्तर
22 (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता को क्या एक साथ एक से अधिक जगहों के भी कार्य दिये जा सकते है?	प्रशासनिक आवश्यकता तथा निगम कार्यहित में रिक्त पद के विरूद्ध अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता को अग्रेतर आदेशों तक उनके मूल कार्यों के साथ अतिरिक्त कार्यभार आवंटित किया जा सकता है।
(ख) यदि हॉ, तो कितने अधिक्षण अभियंताओं को विद्युत कार्यमण्डल वाराणसी, विद्युत कार्यमण्डल गोरखपुर और नियोजक विभाग डिस्काम वाराणसी का कार्यभार दिया गया है?	• वर्तमान में वाराणसी डिस्काम में प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत एक अधीक्षण अभियन्ता को अपने नियोजन अनुभाग, डिस्काम मुख्यालय, वाराणसी के मूल कार्यों के साथ-साथ अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य मण्डल, वाराणसी एंव अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य मण्डल, गोरखपुर का अतिरिक्त कार्यभार आवंटित किया गया है। • प्रत्येक जनपद में विद्युत निगम के दो प्रकार के कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर हैं:- (क) **विद्युत वितरण मण्डल** - वितरण मण्डल के अधीन विद्युत आपूर्ति, नए संयोजन, मीटरिंग एवं बिलिंग, राजस्व वसूली, लाइन मेंटेनेन्स, उपभोक्ता की शिकायतें आदि कार्य होते हैं। जिसमें उपभोक्ता से सीधा सम्पर्क रहता है। (ख) **विद्युत कार्य मण्डल** - विद्युत कार्य मण्डल के अंतर्गत उपकेन्द्रों के निर्माण एवं लाइनों के निर्माण इत्यादि से सम्बन्धित कार्य होते हैं, जिनका कार्य सीमित होता है तथा उपभोक्ता से कोई सीधा सम्पर्क नहीं होता है। विद्युत कार्य मण्डल के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी भी नियुक्त होते हैं जिनके कार्य पर्यवेक्षण के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी कई

स्थानों का कार्य देख सकता है। उक्त के दृष्टिगत अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

(ग) यदि नहीं, तो नियमों के विरुद्ध एक से अधिक जगह का चार्ज देने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे?

उपरोक्तानुसार।

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

प्रश्न नहीं उठता।

ए0के0 शर्मा

ऊर्जा मंत्री।